**प्रेस विज्ञप्ति**
**02.10.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय, कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा 400 पदों के लिए आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितताओं की जांच कर रहा है। यह जांच बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(3), 318(4), 336(2), 336(3) एवं 340(2) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है।

जांच के दौरान ऐसी सामग्री प्राप्त हुई, जिससे संकेत मिलता है कि बसवराज कन्नाले ने अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रिश्वत के एवज में अभ्यर्थियों को सही उत्तरों सहित लीक किया गया प्रश्नपत्र उपलब्ध कराकर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अवैध चयन में सहायता की। जांच में पता चला कि बसवराज कन्नाले ने केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के साथ अपने निकट संबंधों के माध्यम से लीक हुए प्रश्नपत्र तक पहुंच प्राप्त की थी। उन्हें गोपनीय परीक्षा सामग्री की अभिरक्षा एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया था। इसके पश्चात बसवराज कन्नाले ने अनेक अभ्यर्थियों की पहचान की और उनसे संपर्क कर उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में उनके चयन का आश्वासन दिया।

जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री तथा पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत दर्ज किए गए विश्वास के आधार पर, **बसवराज कन्नाले को उपर्युक्त अनुसूचित आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय के सृजन, संग्रहण एवं प्रबंधन में अपनी संलिप्तता के लिए दिनांक 17/09/2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था (*जो न्यायिक हिरासत में था*)**। इसके पश्चात उसे दिनांक 29/09/2026 को पीएमएलए मामलों के माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच–4) के समक्ष पेश किया गया तथा **माननीय न्यायालय ने जांच के लिए बसवराज कन्नाले की 14 दिनों की हिरासत प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान की।**

जांच के दौरान यह पता चला कि **प्रारंभ में प्रत्येक अभ्यर्थी से लगभग ₹80 लाख की राशि की मांग की गई थी, जिसे बाद में बातचीत के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ₹30 लाख से ₹40 लाख के बीच की राशि पर तय किया गया।** तय की गई राशि का कुछ हिस्सा नकद एवं बैंकिंग माध्यमों के जरिए अग्रिम रूप से वसूल किया गया। शेष राशि की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों से हस्ताक्षरित खाली चेक एवं वचनपत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, जिनमें से कुछ को बाद में तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान बरामद एवं जब्त किया गया। जांच में आगे पता चला कि मेसर्स ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमिता, बीदर के बैंक खाते का उपयोग उपर्युक्त अवैध रिश्वत से संबंधित कुछ राशियां प्राप्त करने के लिए किया गया था।

जांच से यह भी पता चला है कि चयनित अभ्यर्थियों को बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक रिसॉर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें सही उत्तरों सहित लीक किया गया प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया। बसवराज कन्नाले एवं उसके सहयोगियों की निगरानी में अभ्यर्थियों को उत्तर याद करने के लिए कहा गया। अगले दिन, अर्थात् परीक्षा की तिथि को, बसवराज कन्नाले और/या उसके सहयोगियों द्वारा व्यवस्थित किए गए वाहनों में अभ्यर्थियों को उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया।

आगे की जांच से केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की भूमिका भी सामने आई है, जिन्हें भर्ती परीक्षाओं के पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन को

सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया था और जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्नपत्रों की छपाई को अंतिम रूप देने एवं उसकी निगरानी करने तथा गोपनीय परीक्षा सामग्री की अभिरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। जांच में पता चला कि उक्त पद पर रहते हुए ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया तथा अवैध रिश्वत के एवज में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पूर्व सही उत्तरों सहित पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र बसवराज कन्नाले को लीक करने में सहायता की।

एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, **केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को अनुसूचित आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय के सृजन में सहायता करने में उनकी भूमिका के लिए दिनांक 18/09/2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था** (*जो न्यायिक हिरासत में था*) और उन्हें प्रोडक्शन वारंट के आधार पर दिनांक 21/09/2026 को पीएमएलए मामलों के माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-4) के समक्ष पेश किया गया। **माननीय विशेष न्यायालय ने आगे की जांच के लिए ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की 14 दिनों की हिरासत प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान की है।**

दिनांक 18/08/2026 से 24/08/2026 के दौरान की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री के विश्लेषण से पता चला कि उपर्युक्त आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न आय को बाद में विभिन्न माध्यमों से लेयरिंग एवं उपयोग किया गया, जिसमें बैंक हस्तांतरण, सोने के आभूषणों की खरीद, हवाई यात्रा के लिए नकद भुगतान तथा नकद लेन-देन शामिल हैं। इसका उद्देश्य अपराध से अर्जित आय की प्रकृति एवं स्रोत को छिपाना तथा उसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना था।

आगे की जांच जारी है।

***